

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री बालेश्वर महतो पिता अगहन महतो निवासी ग्राम: उत्तराठी; ग्राम पंचायत:- कल्याणपुर; थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50 (रैयती) खाता सं. 01, 44, 86 & 53 के अधीन प्लॉट सं. 276, 288, 290, 286, 94, 289 & 285, कुल रकबा - 02.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: ग्राम: उत्तराठी; ग्राम पंचायत:- कल्याणपुर; थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50 (रैयती) खाता सं. 01, 44, 86 & 53 के अधीन प्लॉट सं. 276, 288, 290, 286, 94, 289 & 285, कुल रकबा - 02.00 एकड़ के तहत श्री बालेश्वर महतो पिता अगहन महतो निवासी ग्राम: उत्तराठी; ग्राम पंचायत:- कल्याणपुर; थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

विशेषा कुमार
१२/०२/२०२१

12/2/21